


-: तथ्यात्मक प्रतिवेदन :-


मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर याचिका संख्या 3394/2018
हरिराम बनाम सरकार व अन्य

1. विवाद का विषय नहीं अतः टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2. विवाद का विषय नहीं अतः टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3. विवाद का विषय नहीं अतः टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
4. विवाद का विषय नहीं अतः टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5. विवाद का विषय नहीं अतः टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6. जिस प्रकार वर्णित किया है सहमत है।
7. जिस प्रकार वर्णित किया है सहमत है।
8. जिस प्रकार वर्णित किया है सहमत है।
9. जिस प्रकार वर्णित किया है सहमत है।
10. नियुक्ति आदेश को संशोधित किया गया जिसमें अभ्यर्थी का नाम व आधार का संशोधन किया गया।
11. जिस प्रकार वर्णित किया है सहमत है।
12. जिस प्रकार वर्णित किया है सहमत है।
13. याची को नियुक्ति तिथि से काल्पनिक लाभ एवं कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय है।
14. जिस प्रकार वर्णित किया है स्वीकार्य नहीं याची का अभ्यावेदन लम्बित नहीं है।
15. याची ने 11.01.2016 को राउमावि. जगसरी हनुमानगढ़ में कार्यग्रहण कर लिया है।
16. विवाद का विषय नहीं अतः टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
17. विवाद का विषय नहीं अतः टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
18. नियुक्ति तिथि से काल्पनिक एवं कार्यग्रहण तिथिसे वास्तविक लाभ का स्पस्ट रूप से आदेश में उल्लेख किया गया है।
19. कार्यग्रहण अवधि से आदेश दो वर्ष पूर्ण होने पर ही परिवीक्षिकाल अवधि पूर्ण होगी।
20. बिन्दू संस्था प्रधान से संबंधित है।
21. बिन्दू जिशिअ मा. से संबंधित है इस अनुभाग से संबंधित नहीं है।
22. जिस प्रकार वर्णित किया है स्वीकार्य नहीं नोशनल लाभ का आदेश प्रत्याहरित नहीं किया गया।
23. जिस प्रकार वर्णित किया है स्वीकार्य नहीं है वास्तविक लाभ कार्यग्रहण अवधि से ही देय है।
24. याची का नोशनल लाभ नियुक्ति विधि से वास्तविक लाभ कार्य ग्रहण अवधि से देय है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29829/बी-2018

1. दिनांक 05.03.18 क्रम में।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश शिविरा/ मा/ संस्था/ सी-5 / उर्दू रिव्यूरि/ 16-17/2016 दिनांक 30.08.16 के अनुसरण में अलीमुउद्दीन अहमद का व्या0 उर्दू के पद पर राउमावि बूंदी से राउमावि. गोठडा, बूंदी पदस्थापन किया गया था, जहां अलीमुउद्दीन अहमद ने दिनांक 08.09.16 को कार्यग्रहण कर लिया।

श्री अलीमुउद्दीन अहमद व्याख्याता उर्दू राउमावि छबडा, बांरा ने अपना आवेदन पत्र 21.06.18 के द्वारा पारिवारिक परिस्थितिवश अपना पूर्व पद वरिष्ठ अध्यापक के पद पर करने की मांग की है, श्री अलीमुउद्दीन अहमद पूर्व कार्यरत पद वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के पद पर पदाधिकारी (लियन) नियमानुसार रखते हैं। अतः इनके आवेदन पत्र दिनांक 21.06.18 द्वारा पूर्व पद वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के पद पर पदस्थापित करने संबंध मांग स्वीकार की जाकर इन्हें व्या. उर्दू के पद से मुक्त करते हुए पूर्व स्थाई पद वरिष्ठ अध्यापक, उर्दू के पद पर पदस्थापित करने हेतु उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा को सुपूर्द किया जाता है।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/ मा/ संस्था/ सी-5/ ~~आर.पी.एस.सी.~~ पूर्व पद/ भूगोल/ 2017 दिनांक 11-07-2018
प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. उपनिदेशक माध्यमिक, कोटा
2. जि.शि.अ. माध्यमिक, बांरा/कोटा
3. प्रधानाचार्य राउमावि छबडा, बांरा
4. श्री अलीमुउद्दीन अहमद व्याख्याता उर्दू राउमावि छबडा, बांरा
5. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त-निदेशक (कामिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर